

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 216]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 2 अगस्त 2024—श्रावण 11, शक 1946

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. एफ ए-3-02-2017-1-पांच (13).—मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (क्रमांक 19, सन् 2017) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 109 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-02-2017-1-पांच (42), दिनांक 27 सितम्बर 2023 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में,

1. अनुक्रमांक 9 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“9. श्रीमती पूर्णिमा चौरसिया राज्य कर, संयुक्त आयुक्त इन्दौर वृत्त-02 एवं इन्दौर वृत्त-05”
मुख्यालय, इन्दौर.

2. अनुक्रमांक 13 के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

“14. श्रीमती रूबी रघुवंशी राज्य कर, संयुक्त आयुक्त इन्दौर वृत्त-01, 14, 15 एवं पीथमपुर वृत्त”
एवं अपीलीय प्राधिकारी,
इन्दौर संभाग-एक.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 अगस्त 2024

क्र. एफ ए-3-02-2017-1-पांच.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए-3-02-2017-1-पांच (13), दिनांक 2 अगस्त 2024 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
वन्दना शर्मा, उपसचिव.

Bhopal, the 2nd August 2024

No. F A 3-02-2017-1-V (13).—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Madhya Pradesh Goods and Service Tax Act, 2017 (No. 19 of 2017), read with Rule 109A of Madhya Pradesh Goods and Service Tax Rules, 2017, the State Government, hereby, makes the following amendments in this department Notification No. F A 3-02-2017-1-V (42), dated 27th September, 2023, namely :—

AMENDMENTS

In the said Notification, in the Table,

1. for serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries relating thereto shall be substituted, namely :—

"9. Smt. Purnima Chaurasiya	Joint Commissioner of State Tax, Head Office, Indore.	Indore Circle-02 and Indore Circle-05."
-----------------------------	--	---

2. after serial number 13 the following serial number and the entries relating thereto shall be insterted, namely :—

"14. Smt. Ruby Raghuvanshi	Joint Commissioner of State Tax and Appellate Authority, Indore Division-01.	Indore Circle-01, 14 and 15 and Pithampur Circle."
----------------------------	---	---

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
VANDANA SHARMA, Dy. Secy.